न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 09 / 2013
जीसीएमएस:– 2013 / 00026

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मालाराम पुत्र भागचंद 2. रूगनाथ पुत्र भागचंद जातियान विश्नोई निवासीगण विष्णुनगर बावरला तह–सांचौर जिला सांचौर		1. मुकनाराम पुत्र रामचन्द्र 2. बलदेवा पुत्र अमलख जातियान विश्नोई निवासीगण विष्णुनगर तह–सांचौर जिला सांचौर वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित:– तारीख रजू:– 27.08.2013

1. श्री सदराम विश्नोई प्रार्थी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रतापाराम विश्नोई।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 एक पक्षीय ।

निर्णय

दिनांक 04.07.2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि राजस्व मौजा विष्णुनगर पटवार हल्का बावरला तहसील सांचौर में संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। जो अभी जरिये जरिये बंटवाड़ा अलग कर अलग–अलग बटट्ा नम्बर दर्ज किये गये जिसमें खसरा नम्बर 985 की कुल आराजी 1.59 हैक्टयर भूमि को दोनों भाईयों में बराबर–बराबर बंटकर उस अनुसार कब्जा करवाया गया परन्तु राजस्व रेकर्ड में उस भूमि के बटट्ा नम्बर तो अंकित कर दिये गये परन्तु नक्शे में अभी भी मूल खसरा नम्बर 985 दर्ज है। बंटवाड़े के अनुसार मुझ प्रार्थी संख्या 02 के बंट मेमं 0.79 हैक्टयर तथा प्रार्थी संख्या 01 के बंट 0.80 हैक्टयर भूमि रखी है। उस अनुसार हम दोनों भाइयों की खातेदारी की कुल 1.59 हैक्टयर भूमि है जिस पर हम काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के उत्तरी भाग में आई हुई सरकारी ग्राम आबादी भूमि पर अतिक्रमी हुऐ है जिन्होंने सरकारी भूमि पर अभी कुछ समय पूर्व कब्जा किया है। और पास ही हमारे खातेदारी की भूमि जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये भाग पर मार्क ए से बी के बीच सेढा तोड़कर हमारे खातेदारी भूमि में कब्जा करना चाहते है। व मार्क ए से वी भाग के बीच का सेढा अप्रार्थीगण ने नष्टकर वहां पर सेढे के चिन्ह खतम कर जिस तरह पास की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया था उसी तरह हमारे खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर काबिल होना चाहते है। जिस पर हमने पटवारी हल्का से पैमाईश करवाकर सेढा किया तो पुनः अप्रार्थीगण [illegible] को तोड़कर हमारे खातेदारी में घुस आते है उस पर पक्का निर्माण करने के ईरादा रखते है व हमा[illegible] भूमि को दबाना चाहते है। हम वादीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है अप्रार्थीगण अतिक्रमी प्रवृति [illegible] भू–माफिया लोग है अतः ग्राम बावरला के खेत खसरा नम्बर 985 रकबा 0.80 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1403 / 985 रकबा 0.79 हैक्टयर जुमले रकबा 1.59 हैक्टयर भूमि [illegible] नक्शे में तरमीम की हुई है [illegible] उसके उत्तरी भाग राजकीय भूमि से लगता हैं। नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 985 दर्शाया गया है उसके उत्तरी भाग राजकीय भूमि से लगता हैं। प्रार्थीया उक्त भूमि का खातेदार तथा मार्क ए से बी भाग जो लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीया उक्त भूमि का खातेदार तथा अपनी भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का माननीय

सहायक [illegible], सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अदालत में पेश किया। उक्त खेत का पैमाईश कर सीमा चिन्ह अंकित कर वहां पर नेखबंदी का आदेश प्रदार करावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 27.08.2013 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नाटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब पेश किया कि ग्राम बावरला के खेत खसरा नम्बर 985 रकबा 080 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1403/985 रकबा 0.79 हैक्टयर जुमले रकबा 1.59 हैक्टयर भूमि सरहद आती है तो उसे नापी जाकर वहां पर नेखबंदी की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 के विरूद्व लगातार अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीगण ने मौजा ग्राम बावरला के खेत खसरा नम्बर 985 रकबा 080 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1403/985 रकबा 0.79 हैक्टयर जुमले रकबा 1.59 हैक्टयर भूमि जो नक्शे में तरमीम की हुई है। मूल नम्बर 985 दर्शाया गया है उसके उत्तरी भाग राजकीय भूमि से लगता हैं। नजरी नक्शा में मार्क ए से बी भाग जो लाल स्याही से दर्शाई गई भूमि की पैमाईश कर पत्थर गढ्ढी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना के साथ संलग्न जमांबदी, नक्शा के अनुसार प्रार्थीया के उक्त खातेदारी खेत की माठ के अलामात व सीमाज्ञान कर पत्थर गढढ्ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मौजा ग्राम बावरला के खेत खसरा नम्बर 985 रकबा 080 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1403/985 रकबा 0.79 हैक्टयर जुमले रकबा 1.59 हैक्टयर भूमि जो नक्शे में तरमीम की हुई है। मूल नम्बर 985 दर्शाया गया है उसके उत्तरी भाग राजकीय भूमि से लगता हैं। नजरी नक्शा में मार्क ए से बी भाग जो लाल स्याही से दर्शाई गई भूमि भंली भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ओर प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार साचौर को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:31 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उक्त आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned with OKEN Scanner